

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 360 / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 26/7/2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग प्रस्ताव सं०
FP/UK/ROAD/120677/2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में Reg.office/Nodal Officer द्वारा लगायी गयी आपत्ति का उत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक 307/12-1 (2) दिनांक 22.07.2021 द्वारा ऑन लाईन प्राप्त हुआ है, जिसे संस्तुति सहित ऑन लाईन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

(प्रवीण कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 307 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 22 जुलाई, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 1119/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पैय्यापौड़ी तोली ग्वालगांव मोटर मार्ग के निर्माण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई 7.750.) (Online No. FP/UK.ROAD/120677/2021)

संदर्भ:- नोडल स्तर द्वारा दिनांक 01.06.2021 को ऑनलाईन लगाई गई आपत्ति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में कमियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

क्र०सं०	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1.	Mark the benefited village in the KML file	लाभान्वित ग्रामों की स्थिति के 0एम0एल0 फाईल में अंकित कर दी गई है।
2.	National park certificate attached in part I is not signed by the competent authority i.e DFO.	प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर करा कर अपलोड कर दिया गया है।
3.	As clear from the aerial distance certificate (given by the IT Cell) the concerned proposal is within 10 km. distance from the protected area. Kindly upload the annexure 26 with comments and signed by CWLW.	सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है।
4.	In CA scheme area is shown as 2.975*2=7.750, kindly clarify	सी0ए0 स्कीम में गणना में त्रुटि होने के कारण 2.975 अंकित हो गया था, जो 3.875 है।
5.	In tree list and other documents, other area (0.9 ha) is mentioned as nap land but in the legal status the 0.9 ha. Land is mentioned as unclassified kindly clarify.	सभी प्रपत्र में 0.9 है0 भूमि अनक्लासीफाईड भूमि ही प्रदर्शित की गई है।

OIC

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़